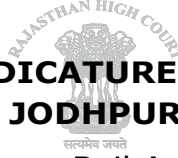




**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 3674/2026

Mohit Alias Babu S/o Shri Hemraj, Aged About 31 Years, R/o
Ward No. 16, Nagarpalika Ke Piche, Srikanpur, Tehsil
Srikanpur, District Sri Ganganagar.
(Presently Lodged At Dist. Jail, Sri Ganganagar)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. JK Haniya
For Respondent(s)	:	Mr. Hanuman Prajapati, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

27/03/2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 43/2026, अपराध अन्तर्गत धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के मामले में प्रस्तुत हुआ है।
2. मैंने बहस जमानत आवेदन पत्र पर सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।
3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि इस मामले में बरामदशुदा माल की मात्रा वाणिज्यिक मात्रा से कम है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में कोई एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा दर्ज नहीं है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः इस आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।
4. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।
5. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। इस मामले में बरामदशुदा माल की मात्रा वाणिज्यिक मात्रा से कम है। प्रार्थी/अभियुक्त



के विरुद्ध पूर्व में कोई एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा दर्ज नहीं है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

6. अतः बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

7. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी/अभियुक्त **मोहित उर्फ बाबू पुत्र हेमराज** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J